

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक: 13 अप्रैल, 2023

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) के अनुसार राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह अप्रैल-मई, 2023 के लिये मतदान दिनांक 07.05.2023 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनावों में भी लागू होंगे।

अतः निर्वाचन क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है। पंच/सरपंच चुनाव की मतगणना इनके मतदान के दिन ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतगणना की जायेगी। अतः जहाँ पंच/सरपंचों के चुनाव होने हैं वहाँ मतगणना के समय भी सूखा दिवस घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 05.05.2023 को सांय 5.00 बजे से दिनांक 07.05.2023 को सांय 5.00 बजे तक व जहाँ पंच एवं सरपंच के चुनाव होने हैं वहाँ दिनांक 07.05.2023 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

संलग्न: उपरोक्तानुसार।



(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(3)/पंचा/रानिआ/2022/1358

दिनांक: 13/04/2023

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग